



प्रेस नोट

थाना – हाफिजपुर

दिनांक 15.07.2022

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना हाफिजपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में 02 आरोपियों को 07 वर्ष 02 माह 11 दिन का सश्रम कारावास व 5,000- 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना हाफिजपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते थाने के मु0अ0सं0 622/12 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 02 आरोपियों को 07 वर्ष 02 माह 11 दिन का सश्रम कारावास व 5,000- 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है ।

सिद्धदोष अपराधियों का नाम व पता:-

1. उस्मान पुत्र उम्मैद निवासी ग्राम आजमपुर दहपा थाना पिलखुवा जनपद हापुड ।
2. जुल्लू उर्फ जुल्फिकार पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम आजमपुर दहपा थाना पिलखुवा जनपद हापुड ।